RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक १२] गुरुवार, जून १४, २०१८/ज्येष्ठ २४, शके १९४० [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १४ मार्च २०१८ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

MAHARASHTRA ORDINANCE NO. XIII OF 2018.

AN ORDINANCE
TO PROVIDE FOR THE ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND FOR LAYING UNDERGROUND PIPELINES AND TO CREATE UNDERGROUND DUCTS FOR CARRING UTILITIES AND SERVICES (EXCEPT ELECTRICITY CABLES) IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १३, सन् २०१८।

महाराष्ट्र राज्य में उपयोगिता और सेवाओं (विद्युत केबलों को छोड़कर) के निर्वहन के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार के अर्जन के लिये और भूमिगत वाहिनीयों का सृजन करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हे, महाराष्ट्र राज्य में, उपयोगिता और सेवाओं (विद्युत केबलों को छोड़कर) के निर्वहन के लिये भूमिगत

पाईप लाईन बिछाने हेतु भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार के अर्जन के लिये और भूमिगत वाहिनीयों का सृजन करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अध्यादेश, २०१८ कहलाये ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ।

२. इस अध्यादेश में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "सक्षम प्राधिकरण" का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के अधीन सक्षम प्राधिकरण के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकरण से हैं ;

(ख) " निगम " का तात्पर्य, किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम अथवा कम्पनी अधिनियम, २०१३ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित किसी निगमित निकाय से हैं ;

(ग) "सरकार" या "राज्य सरकार" का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से हैं ;

(घ) " भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण " का तात्पर्य, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा ५१ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित प्राधिकरण से हैं ; सन् २०१३ का ३०।

(ड़) " विहित" का तात्पर्य, इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा विहित से हैं ;

(च) " नगरीय स्थानीय निकाय " का तात्पर्य, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ की धारा २ के उप-खण्डों (क), (ख) और खण्ड (१५) के उप-खण्ड (ग) (३) में यथापरिभाषित स्थानीय प्राधिकरण, से हैं ; सन् १९६६ का महा. ३७।

(छ) " भूमिगत पाइप लाईन " का तात्पर्य, भू-सतह के डेढ़ मीटर से अनून गहराई में एक स्थान से अन्य तक उपयोगिता और सेवाओं का कार्यान्वयन करने के लिये बिछाई गई पाइप लाईन से हैं।

(ज) " भूमिगत वाहिनी " का तात्पर्य, एक स्थान से अन्य तक उपयोगिता और सेवाओं को ले जाने के लिये, भू-सतह से डेढ़ मीटर से अनून गहराई में सृजित भूमिगत वाहिनी, से हैं।

भूमि उपयोग-कर्ता के अधिकार अर्जन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन।

३. (१) जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उपयोगिता और सेवाओं को ले जाना आवश्यक है, जिसमें एक भूमिगत पाईप लाईन या भूमिगत वाहिनी बिछाई जा सकेगी और ऐसी पाईप लाईन या भूमिगत वाहिनी, सरकार, निगम या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा बिछाने के प्रयोजनार्थ, किसी भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन आवश्यक होगा, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन या भूमिगत वाहिनी बिछाई जा सकेगी। **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करने द्वारा उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन की अपनी इस इच्छा को घोषित कर सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में, भूमि का संक्षिप्त विवरण दिया रहेगा जिसमें ऐसी भूमिगत पाईप लाईन बिछायी जायेगी या भूमिगत वाहिनी सृजित की जायेगी।

(३) सक्षम प्राधिकरण, ऐसे स्थानों पर एवं रीति से, जो विहित की जा सकेगी, अधिसूचना का सार प्रकाशित करेगा।

(४) ऐसी भूमि से हितबद्ध कोई व्यक्ति, उप-धारा (१) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने के इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर, पाईप लाईन बिछाए जाने या भूमिगत वाहिनी सृजित करने में आपत्ति कर सकेगा।

(५) उप-धारा (४) के अधीन, प्रत्येक आपत्ति, लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जाएगी जिसमें उसका आधार उल्लिखित रहेगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं या उसके अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी आपत्तियों की सुनवाई और आगे ऐसी जाँच, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझें, करने के पश्चात्, आदेश पारित कर ऐसी आपत्तियों को उप-धारा (४) के अधीन आपत्ति दायर करने के लिये विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक से तीस दिनों के भीतर, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेगा।

(६) उप-धारा (५) के अधीन सक्षम प्राधिकरण द्वारा, पारित प्रत्येक आदेश, अंतिम होगा।

भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार के अर्जन की घोषणा।

४. (१) जहाँ धारा-३ की उप-धारा (४) के अधीन उसमें यथा विहित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति नहीं की जाय अथवा उप-धारा (५) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया जाय, वहाँ सक्षम प्राधिकारी उक्त धारा ३ की उप-धारा (५) के अधीन आदेश मंजूर करने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, घोषित करेगा कि भूमिगत पाईप लाईन बिछाने या भूमिगत वाहिनी सृजित करने के लिए भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार की लोक हित में आवश्यकता है :

परंतु, यदि सक्षम प्राधिकारी, धारा ३ की उप-धारा (५) के अधीन मंजूर आदेश के दिनांक से तीस दिनों के भीतर अधिघोषणा जारी करने में विफल होता है, तब, धारा (३) की उप-धारा (१) के अधीन अधिघोषणा की गई समझी जायेगी :

परंतु, आगे यह कि, पूर्ववर्ती परंतुक की कोई भी बात, धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन एक नयी अधिघोषणा के जारी करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर उसमें विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग-कर्ता का अधिकार, सभी ऋणभारों से मुक्त, राज्य सरकार में निरपेक्षतः निहित हो जाएगा।

(३) उप-धारा (२) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुये भी, राज्य सरकार, ऐसी निबंधनों एवं शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, लिखित आदेश के द्वारा, निदेशित करेगी कि भूमिगत पाईप लाईन बिछाने या भूमिगत वाहिनी सृजित करने संबंधी भूमि उपयोग-कर्ता का अधिकार राज्य सरकार में निहित होने के स्थान पर, सभी ऋणभारों से मुक्त, भूमिगत पाईप लाईन बिछाने या भूमिगत वाहिनी सृजित करने वाले, प्रस्तावित निगम में निहित होंगे।

प्रवेश और सर्वेक्षण की शक्ति।

५. धारा-४ की उप-धारा (१) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर, राज्य सरकार निगम अथवा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा इसके सेवकों और मजदूरों के लिए निम्नलिखित कार्य विधिपूर्ण होगा,—

(क) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भी भूमि में प्रवेश करके सर्वेक्षण और सतहें लेना ;

(ख) अधःस्थलीय मिट्टी में खुदाई या छेदन करना ;

(ग) आशयित कार्य आरम्भ करना ;

(घ) निशान लगाते हुए भूमि का सतहीकरण, चौहद्दियाँ रेखांकित करना तथा खन्दक की कटाई करना ;

(ड़) जहाँ सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया गया हो, सतहें नहीं ली गयी हों, चौहद्दियाँ और रेखाएँ नहीं खींची गई हों, वहाँ लगी किसी फसल, बाड़ लगाना अथवा जंगल के किसी भाग की कटाई करना तथा हटाना ; और

(च) अन्य सभी आवश्यक कार्य करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त भूमि में भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जा सकती है, भूमिगत वाहिनीयों का सृजन किया या सकता है या नहीं :

परन्तु, इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय ऐसा व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति का कोई सेवक, उस भूमि को यथा संभव कम-से-कम नुकसान और क्षति पहुँचाएगा।

भूमिगत पाईप लाईनों का बिछाया जाना या भूमिगत वाहिनीयों का सृजन करना।

६. (१) जहाँ किसी भूमि में उपयोग-कर्ता का अधिकार, धारा-४ के अधीन राज्य सरकार अथवा निगम या नगरीय स्थानीय निकाय में निहित हो गया हो वहाँ :—

(एक) राज्य सरकार अथवा निगम या, यथास्थिति, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति और उसके सेवकों के लिए उस भूमि में प्रवेश करना और भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या भूमिगत वाहिनीयों का सृजन करना अथवा उस पाईप लाईन को बिछाने या भूमिगत वाहिनीयों का सृजन करने के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्रवाई करना विधिपूर्ण होगा ;

परन्तु, यथासाध्य, किसी भूमि के अधीन जो, धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन अधिसूचना के दिनांक के शीघ्र पश्चात्, किसी आवासी वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत भवन के अधीन या सहायक हैं, कोई भी भूमिगत पाईप लाईन बिछायी नहीं जायेगी या कोई भी भूमिगत वाहिनीयाँ सृजित नहीं की जायेगी ;

(दो) ऐसी भूमि, सिर्फ भूमिगत पाईप लाईन बिछाने या भूमिगत वाहिनीयों का सृजन करने और ऐसी भूमिगत पाईप लाईन भूमिगत वाहिनीयों के रख-रखाव, जाँच-परख, मरम्मत, बदलाव अथवा उसे हटाने अथवा उपर्युक्त प्रयोजन में से किसी के लिए अथवा ऐसी भूमिगत पाईप लाईन के उपयोग में से किसी आवश्यक कार्य के लिए उपयोग में लायी जायेगी ।

(२) उप-धारा (१) के खण्ड (एक) के परन्तुक के निर्देशित किसी विषय, के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो, उक्त विवाद सक्षम प्राधिकरण को निर्देशित किया जाएगा, जिसका निर्णय, अंतिम होगा ।

निरीक्षण रख-रखाव आदि के लिए भूमि में प्रवेश करने की शक्ति।

७. किसी भूमिगत पाईप लाईन या भूमिगत वाहिनीयों का रख-रखाव, जाँच-परख, मरम्मत, बदलने या हटाने अथवा उपर्युक्त किसी प्रयोजन से माप लेने या कोई जाँच करने के लिए राज्य सरकार या निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति भूमि के अधिभोगी को समुचित सूचना देने के उपरान्त वैसे मजदूरों तथा सहायकों, जो आवश्यक हों, के साथ उसमें प्रवेश कर सकता हैं ;

परन्तु, जहाँ आपात् स्थिति हो, ऐसी कोई सूचना देना आवश्यक न होगा।

भूमि के उपयोग के संबंध में निर्बन्धन।

८. (१) धारा (४) की उप-धारा (१) के अधीन, जिस भूमि के सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गई हैं, उसका स्वामी या अधिभोगी भूमि को उस प्रयोजन से उपयोग करने का हकदार होगा जैसा धारा-३ की उप-धारा (१) के अधीन की अधिसूचना का दिनांक जारी होने के ठीक पूर्व उक्त भूमि का उपयोग हो रहा था ;

परन्तु, धारा-(४) की उप-धारा (१) के अधीन घोषणा जारी करने के पश्चात्, भू-स्वामी या उसका अधिभोगी ;

(एक) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा।

(दो) किसी तालाब, कुआँ, जलाशय या बांध का निर्माण या खुदाई नहीं करेगा, या

(तीन) उस भूमि पर कोई पेड़ नहीं लगाएगा।

(२) भू-स्वामी या उसका अधिभोगी उस भूमि पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे भूमिगत पाईप लाईन या भूमिगत वाहिनी को किसी भी प्रकार से कोई क्षति पहुँचे या कोई क्षति होने की सम्भावना हो।

प्रतिपूर्ति।

९. (१) धारा -५, ६, अथवा ७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के क्रम में भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा क्षति, हानि या चोट पहुँचने पर राज्य सरकार या निगम या, यथास्थिति, नगरीय स्थानीय निकाय को जिसकी अधिसूचना धारा ४ की उप-धारा (१) अधीन जारी की गई है उसके संबंध में उस व्यक्ति को उक्त क्षति, हानि, या चोट के लिए प्रतिकर का भुगतान करना होगा, जिसकी राशि का विनिश्चय धारा ४ की उप-धारा (१) के अधीन अधिसूचना के ३० दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। प्रतिकर की रकम का विनिश्चय निम्नलिखित के कारण हुये नुकसान या हानि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा :—

(एक) उक्त भूमि पर पेड़ अथवा लगी फसल, यदि कोई हो, को हटाया जाना ;

(दो) जिस भूमि में भूमिगत पाईप लाईन बिछाई गयी है या भूमिगत वाहिनी सृजित की गई है उसका ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या अधिभोग में स्थित अन्य भूमियों से विलगाव अथवा ;

(तीन) ऐसे व्यक्ति की किसी अन्य चल अथवा अचल सम्पत्ति का किसी भी अन्य रीति से क्षतिग्रस्त होना।

(२) जहाँ किसी भूमि में उपयोग-कर्ता का अधिकार, राज्य सरकार अथवा निगम या नगरीय स्थानीय निकाय में निहित हो गया हो, राज्य सरकार या, निगम या, यथास्थिति, नगरीय स्थानीय निकाय , प्रतिपूर्ति यदि कोई हो, के अतिरिक्त उप-धारा (१) के अधीन इस निमित्त, राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों के अनुसार परिगणित प्रतिकर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(३) यदि उप-धारा (२) के उपबंधों के अनुसरण में, प्रतिकर की निर्धारित रकम दोनों में से किसीं पक्षकारों को स्वीकार्य नहीं है तो उस विषय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संसूचना की प्राप्ति के पश्चात्, तीस दिनों के भीतर व्यथित पक्षकारों द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारी को आवेदन किया जा सकेगा इस पर उसका निर्णय, अंतिम होगा।

सन् २०१३ का ३०।

(४) जहाँ भूमि राज्य सरकार या निगम या, यथास्थिति, नगरीय स्थानीय निकाय में निहित उपयोग-कर्ता के अधिकार के आधारपर संनिर्माण नहीं होता है तो भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, २०१३ के उपबंधों के अधीन भूमि अर्जित की जा सकेगी।

प्रतिकर का निक्षेप और भुगतान।

१०. (१) धारा ९ के अधीन निर्धारित की गई प्रतिकर की रकम, धारा ९ के अधीन प्रतिकर के निर्धारण के दिनांक से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से राज्य सरकार या निगम या, यथास्थिति, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निक्षेपित की जायेगी।

(२) यदि प्रतिकर की रकम उप-धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर निक्षेपित नहीं की गई है तो, राज्य सरकार या निगम या, यथास्थिति, नगरीय स्थानीय निकाय, जिस दिनांक तक प्रतिकर निक्षेपित हो जाना चाहिए थी उससे जमा निश्चित निक्षेपित दिनांक तक प्रतिवर्ष नौ प्रतिशत के दर से उसपर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(३) उप-धारा (१) के अधीन प्रतिकर की रकम निक्षेपित होने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार या निगम या, यथास्थिति, नगरीय स्थानीय निकाय की ओर से, हकदार व्यक्ति को अगले तीस दिनों के भीतर प्रतिकर का भुगतान करेगा।

(४) यदि प्रतिकर या अतिरिक्त प्रतिकर या उसके किसी भाग के विभाजन के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है तो सक्षम प्राधिकारी, उसे भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण को निर्देशित करेगा और उसपर उक्त प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

जिस अवधि के भीतर प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।

११. सक्षम प्राधिकारी, धारा-९ के अधीन प्रतिकर का भुगतान, धारा-३ की उप-धारा (१) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से दो वर्षों के भीतर करेगा और यदि प्रतिकर का भुगतान उक्त अवधि के भीतर नहीं किया गया हो, तब भूमि के उपयोग-कर्ता के अधिकार के अर्जन की संपूर्ण कार्यवाही व्यपगत हो जाएगी।

स्पष्टीकरण.— इस धारा में निर्देशित दो वर्षों की अवधि की गणना करने में वह अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी, जिसके दौरान, न्यायालय के आदेश द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुसरण में, कोई कार्रवाई या कार्यवाही स्थगित कर दी गयी हो।

अत्यावश्यक मामलों में विशेष शक्तियाँ।

१२. (१) अत्यावश्यक के मामलों में, जब कभी राज्य सरकार ऐसा निदेशित करे कि सक्षम प्राधिकारी, अद्यापि कोई बचाव नहीं किया गया हो, धारा-३ की उप-धारा (१) में अधिसूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन बीत जाने पर भू-स्वामी की उस भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन कर सकेगा, जो ऐसे भूमिगत

पाईप लाईन बिछाई या भूमिगत वाहिनी सृजित किये जाने के लिए आवश्यक हो। तदुपरान्त, उक्त भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन ऋणभार से मुक्त रूप में पूर्णतः राज्य सरकार में निहित हो जाएगा :

परन्तु, सक्षम प्राधिकारी इस उप-धारा के अधीन किसी भी भूमि के अधिभोगी को, अपने ऐसा करने की इच्छा से सूचना, दिए बिना, अथवा अवधि जो कम से कम अडतालीस घंटे के पूर्व की हो या ऐसी दीर्घकालीन सूचना, जो भूमि के अधिभोगी को उस भूमि से अपनी चल सम्पत्ति बिना किसी अनावश्यक असुविधा के हटा लेने के लिए पर्याप्त हो, किसी भूमि को या उसके भाग को अपने कब्जे में नहीं लेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन प्रत्येक मामले में, सक्षम प्राधिकारी, भूमि को अपने कब्जे में लेने के पहले हितबद्ध व्यक्तियों को इस भूमि पर लगी फसल और वृक्षों (यदि कोई हो) के लिए तथा अकस्मात बेदखल करने से किसी अन्य नुकसान के लिए प्रतिकर का प्रस्ताव देगा और ऐसा प्रस्ताव स्वीकार्य न होने की दशा में उस फसल और वृक्षों का मूल्य और ऐसी अन्य नुकसान की राशि इसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन भूमि के लिए प्रतिकर देने के लिए स्वीकृत की जायेगी।

(३) उप-धारा (१) के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने के पहले सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (२) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी भूमि के लिए हित-बद्ध और उसके हकदार व्यक्ति को उसके द्वारा यथा आकलित प्रतिकर का ८० प्रतिशत भुगतान करेगा, और उक्त राशि का उसे भुगतान करेगा जब तक कि धारा-९ में उल्लिखित एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा उसे रोका न जाये और जहाँ सक्षम प्राधिकारी को उस प्रकार रोका जाता हो वहाँ धारा-९ के उपबंध ऐसे लागू किये जाए जैसा कि उस धारा के अधीन प्रतिकर के भुगतान के लिए होते है।

(४) उप-धारा (३) के अधीन भुगतान या निक्षेपित की गयी रकम, धारा-९ के अधीन निविदत्त करने हेतु अपेक्षित प्रतिकर की रकम विनिश्चित करते समय विचार में ली जायेगी और जहाँ ऐसी भुगतान की गयी या निक्षेपित की गयी रकम सक्षम प्राधिकारी, के द्वारा धारा-९ के तहत प्रतिकर पंचाट से अतिरिक्त होती है, अतिरिक्त रकम यदि सक्षम प्राधिकारी के पंचाट या आदेश की दिनांक से तीन महिनों के अन्दर वापस नहीं की जाती हैं, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(५) राज्य सरकार की राय में, जिस किसी, भूमि के मामले में उप-धारा (१) के उपबंध लागू हो, राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि धारा-३ के उपबंध, उस भूमि के मामले में लागू नहीं होंगे और यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है तो धारा-४ के अधीन उस भूमि के मामले में, धारा-३ के अधीन अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक के बाद किसी भी समय एक घोषणा जारी की जा सकेगी।

सक्षम प्राधिकारी को व्यवहार न्यायालय की कतिपय शक्तियाँ प्राप्त होना।

१३. इस अधिनियम के लिए सक्षम प्राधिकारी को, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी वाद के विचारण के समय व्यवहार न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी अर्थात् :— सन् १९०८ का ५।

(क) किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना एवं उपस्थित करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तवेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य अभिलिखित करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक-अभिलेख की माँग करना ;

(ङ) साक्षियों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना।

सद्भावना से की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण।

१४. इस अध्यादेश या तद्धीन बनाये गये या जारी किये गये नियम या अधिसूचना के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई बाद, अभियोजन या अन्य वैधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

अधिकारिता का वर्जन।

१५. किसी भी सिविल न्यायालय को, ऐसे किसी विषय के संबंध में जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन सशक्त हो, किसी वाद को ग्रहण करने या किसी विवाद का विचारण करने अथवा कोई अंतरिम निषेधादेश पारित करने की अधिकारिता नहीं होगी।

दंड।

१६. (१) जो भी कोई इस अधिनियम की धारा-५, ६ एवं ७ के अधीन प्राधिकृत किसी कार्य को करने में किसी व्यक्ति को जान-बूझकर बाधित करता है या धारा-५ के अधीन खोदी गयी किसी खाई को भर देता है या लगाये गये निशान को मिटा देता है, नुकसान पहुँचाता है, अथवा विस्थापित कर देता है, या धारा-८ की उप धारा (१) के प्रावधानों के अधीन निषिद्ध कुछ भी जान-बूझकर करता है, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ाई जा सकेगी, अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दण्ड़नीय होगा।

(२) जो भी कोई बिछाई गई भूमिगत पाईप लाईन या भूमिगत वाहिनी को जान-बूझकर हटाता, विस्थापित करता, नुकसान पहुँचाता या बर्बाद करता है, कम से कम एक वर्ष की अवधि किन्तु, जिसे तीन वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, सक्षम कारावास की सजा से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

नियम बनाने की शक्ति।

१७. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(२) जब पहली बार के लिए बनाए गये नियमों को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन बनाए सभी नियम पूर्व प्रकाशन के शर्तो के अध्यधीन होंगे ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनो के सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो ३० दिनों के कुल अवधि के भीतर रखा जायेगा, जिसमें एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुवर्ती सत्र में हो, और यदि जिस सत्र में उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में किसी उपांतरण बनाने के लिए सहमत है या दोनों सदन इस बात पर सहमत है कि नियम नहीं बनाया जाए और उस प्रभाव का अपना निर्णय **राजपत्र** में, अधिसूचित करते है तो नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी हो जायेगा या यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा । तथापि, इस प्रकार कोई ऐसा उपांतरण या बातिलिकरण उस नियम के अधीन पहले किए गए या किए जाने से छोडे गए की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

१८. (१) इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत हो, तब राज्य सरकार, जैसे कि अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र,** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों से अनअसंगत ऐसी कोई बात कर सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

वक्तव्य ।

औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थापनाएँ, राज्य के महानगरीय और नगरीय क्षेत्रों में सकेंद्रित हैं। राज्य में ग्रामीण महानगरीय और नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का उपबंध करने और जीवनमान उँचाने, कृषिक और कृषि आधारित औद्योगिक विकास को बढावा देने, अर्थव्यवस्था को बढावा देने और राज्य के तेज न्यायसंगत विकास की दृष्टि से, पूरे राज्य में उपयोगिताओं और सेवाओं के निर्वहन के लिये भूमिगत पाईप लाईन और भूमिगत वाहिनी के मूलभूत संजाल का उन्नयन करना, अत्यावश्यक बना हैं। संपूर्ण राज्य में मूलभूत सुविधाएँ इष्टकर बनाने के लिये, उपयोगिताओं और सेवाओं के निर्वहन के लिये भूमिगत पाईप लाईन बिछाने और भूमिगत वाहिनी का सृजन करने के लिये, भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार के अर्जन के लिये नयी विधि अधिनियमित करना आवश्यक हुआ हैं।

२. उपयोगिताओं और सेवाओं के निर्वहन के लिये भूमिगत पाईप लाईन और भूमिगत वाहिनीयों के मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में, मुख्य बाधा, सुस्पष्ट परिनियमों की अनुपलब्धता और विद्यमान विधिक संरचना के अधीन भूमि के अर्जन में अत्याधिक विलंब भी हैं। इस दृष्टि से, उपयोगिताओं और सेवाओं के वहन के लिये भूमिगत पाईप लाईन बिछाने और भूमिगत वाहिनीयों का सृजन करने के लिये, भूमि में उपयोग-कर्ता में अधिकार के सृजन के लिये एक नयी विधि का उपबंध करना, सरकार इष्टकर समझती हैं।

३. उसमें की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं :—

(एक) भूमिगत पाईप लाईन बिछाने या भूमिगत वाहिनीयों के सृजन के लिये भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार के अर्जन के लिये आशयित के संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन करना ;

(दो) उपरोक्त प्रयोजन के लिये भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार के अर्जन के लिये सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करना ;

(तीन) उक्त प्रयोजन के लिये भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार के अर्जन की अधिघोषणा करना ;

(चार) कार्य के निष्पादन के पूर्व भूमि पर प्रवेश करने और भूमिगत पाईप लाईन बिछाने या भूमिगत वाहिनीयों के सृजन हेतु सर्वेक्षण की शक्ति देना ;

(पाँच) कार्य के कार्यान्वयन के पश्चात्, रखरखाव, निरीक्षण आदि, के लिये भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति देना ;

(छह) भूमि के उपयोग से संबंधित निर्बंधन, प्रतिकर का अभिनिर्धारण और प्रतिकर का भुगतान, प्रतिकर के भुगतान की अवधि देना ;

(सात) विवादों के निपटान के लिये, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (सन् २०१३ का ३०) की धारा ५१ के अधीन स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण को सशक्त करना ;

(आठ) अत्यावश्यकता के मामलो में विशेष उपबंध और साथ ही अन्य सहायक उपबंध।

४. राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा था है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए. विधि द्वारा ऐसे उपबंध बनाने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित ८ मई २०१८।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

विकास खरगे,
सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR, SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : I/C DIRECTOR, SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.